UPAG010065442026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), आगरा।

उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0– UP06100

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2797/2026

1– इरफान उस्मानी पुत्र हनीफ खान, निवासी– 7ए–23, सिकन्दरपुर कलवारी, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा, उम्र करीब 42 वर्ष।

2– सलमान पुत्र मौ0 यासीन खान, निवासी– म0नं0 7122, टीला जोशियान, मोतीकटरा, थाना एम.एम. गेट, जिला आगरा, उम्र करीब 30 वर्ष।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार,
2. दीपक पुत्र गब्बर सिंह, निवासी– 46/509, अम्बेड़कर वाली गली, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा। .....विपक्षीगण

एस.सी. नं. 1300/2024
अपराध सं0–618/2022
धारा–323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना– जगदीशपुरा, जिला आगरा

दिनांक 18.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इरफान उस्मानी** व **सलमान** की ओर से एस.सी. नं. 1300/2024, अपराध सं0 618/2022, धारा– 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नही है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी दीपक द्वारा थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि इरफान, सलमान व यूसुफ दूसरे गैरेज पर काम करते हैं। दिनांक 13.10.2022, समय 12.30 बजे मैं किसी ग्राहक की गाडी सर्विस कर रहा था, तभी उपरोक्त लोगों ने कहा कि तू हमारे गैरेज की गाडी रिपेयरिंग क्यों कर रहा है। मैंने बोला कि यह हमारा गैरेज है, तुम्हारा नहीं है। इसी बात पर उपरोक्त लोगों हाथ में हथौड़ा व लोहे की रॉड से ताबडतोड वार करने लगे तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साले ढेड चमार तेरी इतनी औकात कि तू हमारे गैरेज को काटता है, तुझे जान से मार देंगे। इन

लोगों के हमले से मेरे सिर और शरीर पर गंभीर चोट आयी है, तभी शोरगुल की आवाज पर आसपास के लोग व मेरे मालिक आ गए और मुझे बचाया। जाते समय उपरोक्त लोग गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

4– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना जगदीशपुरा जिला आगरा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या–618/2022 पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द,3(1)ध, 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है, अभियुक्तगण को पुलिस की सांठ–गांठ से झूँठा फंसाया गया है। कथित घटना के समय किसके हाथ में क्या था, कोई स्पष्ट नहीं किया गया है और ना ही ग्राहक को साक्षी बनाया गया है जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कोई जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा घटना के गवाह हरी प्रसाद ने अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग होना नहीं बताया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश से अंतरिम जमानत पर थे तथा आज अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया और वे न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6– वादी मुकदमा को नोटिस तामील कराया जा चुका है। अभियेाजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ हथौड़ा व लोहे की रॉड से मारपीट करते हुए गाली गलौज की गयी, जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, उसे दृष्टिगोचर स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

7– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी/चुटैल के साथ हथौड़ा व लोहे की रॉड से आदि से मारपीट करने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है,

उसको दृष्टिगोचर स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप है। केस डायरी में विवेचक द्वारा वादी/चुटैल का बयान अंकित किया गया है जिसमें वादी/चुटैल द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वस्तु/हथियार से मारपीट की गयी है तथा चुटैल आख्या में भी चिकित्सक द्वारा चुटैल को आयी चोटों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 41(1)बी दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील कराते हुए उनकी गिरफ्तारी के बिना बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में साक्ष्य एकत्रित किया जाना शेष नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 13.10.2022, समय 12.30 बजे की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 20.10.2022 को, समय 13.30 बजे पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश से अंतरिम जमानत पर थे और आज न्यायालय में आत्म समर्पण पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त युसुफ का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं. 1211/2026, उपरोक्त धाराओं में दिनांक 02.04.2026 स्वीकार किया जा चुका है।

9– अतएव न्यायालय के विचार में प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की कतिपय शर्तो पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **इरफान उस्मानी** व **सलमान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन 50,000–50,000/–रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो जमानतें प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत प्रदान की जाती है कि :–

1– यह कि अभियुक्तगण वादी व साक्षियों पर भय, प्रलोभन व दबाव नही डालेंगे।
2– यह कि अभियुक्तगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नही करेगे।
3– यह कि अभियुक्तगण द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
4– यह कि अभियुक्तगण इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगे।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.06.19 07:36:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court